



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण



पत्रांक ४०/प्र०अ०-भवन/जोन-२/२०१०-११ दिनांक ०७/०४/२०१२

विनियमितीकरण

५४ विनियमितीकरण उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा ३२ के अन्तर्गत विनियमित किये जा रहे हैं, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि इस श्रृंखला के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक शान्त मानचित्र विनियमित किया जा रहा है, इसमें किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इराका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के गालियाना आदेशों पर किसी का कोई अरुण पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मेडिकल या स्थामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रमाण न रखेगी।



श्रीमती प्रकाशवती गुप्ता, नीलगुप्ता, श्री विनय गुप्ता एवं श्री विशाल गुप्ता स्थल इलाहाबाद इन्स्युमेंट ट्रस्ट के मूखण्ड संख्या-४३ कासवेध रोड, इलाहाबाद जेन संख्या (२) के अन्तर्गत वास्तविक व्यवसायिक शान्त मानचित्र का विनियमितीकरण निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन हो जाती है :-

- उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ए (१) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकसित उपविधि २००९ में उपविधि संख्या-२/१८ एवं ३.१.८ में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- यह स्वीकृति अनन्तित (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C के शर्त पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपभोग में लाया जा सकेगा।
- स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- स्थल पर ४X३ फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
- स्थल पर ०५ इंच लगाने योग्य तथा वृक्षों को डरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक-समूह का होगा।
- रेनवाटर इन्फेस्टिंग का कार्य पश्चात् के अनुसार पूर्ण कराकर नू-गर्न जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- स्थल का अधिभोग/उपभोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुरूप ही किया जायेगा।
- मानचित्र में दर्शित अशान्त भाग को स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के १५ दिनों के अन्दर अपने हार्ने-खर्च से स्वतः ध्वस्त कराकर इ०वि०प्र० को अवगत कराना होगा, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा उक्त भाग ध्वस्त कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाला व्यय भू-राजस्व के बकाये की कटौति वसूल लिया जायेगा, इस हेतु दिने १५ अथवा पत्र दिनांक ०९.०१.२०१२ का अक्षरशः पालन करना होगा।
- बेसमेन्ट के अशान्त भाग को भी स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के १५ दिनों के अन्दर मिट्टी एवं बालू से भराकर प्राधिकरण को अवगत कराना होगा।
- बेसमेन्ट का उपयोग सड़क पार्किंग के प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की सुसंगत धाराओं के तहत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
- आप द्वारा प्रासंगिक स्थल से सड़क पीछे के भाग में (Detach) भी निर्माण कार्य किया गया है, जिसका विनियमितीकरण कराना आवश्यक होगा, इस हेतु स्वामित्व साबन्दी कनिसेखों के साथ आवश्यक औपचारिकताये पूर्ण कराकर मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।

Continued

1/11/2012
7/14/2012

९५५५१८२५३१



FRONT ELEVATION

SECTION AT A-B

STAIR SECTION

DESCRIPTION	AREA (S.F.)	AREA (SQ. MT.)
TOTAL AREA OF PLOT	415.64	50.00
SANCTION AREA ON BAS.	151.59	18.41
SANCTION AREA ON 1 ST F.	151.59	18.41
SANCTION AREA ON 2 ND F.	151.59	18.41
SANCTION AREA ON 3 RD F.	151.59	18.41
COMPOUNDING AREA ON BAS.	34.23	4.13
COMPOUNDING AREA ON 1 ST F.	34.23	4.13
COMPOUNDING AREA ON 2 ND F.	32.23	3.90
COMPOUNDING AREA ON 3 RD F.	32.23	3.90
OPEN AREA ON 1 ST F.	177.19	21.46
OPEN AREA ON 2 ND F.	177.19	21.46
OPEN AREA ON 3 RD F.	177.19	21.46
MURTY AREA	25.75	3.10


SCHEDULE OF DOOR WINDOW & VENT	NO.	AREA (S.F.)	AREA (SQ. MT.)
1. DOOR	D1	500x2400	1200
2. DOOR	D2	500x2400	1200
3. DOOR	D3	500x2400	1200
4. WINDOW	W1	500x2000	1000
5. WINDOW	W2	500x2000	1000
6. WINDOW	W3	500x2000	1000
7. WINDOW	W4	500x2000	1000
8. WINDOW	W5	500x2000	1000
9. WINDOW	W6	500x2000	1000
10. WINDOW	W7	500x2000	1000
11. WINDOW	W8	500x2000	1000
12. WINDOW	W9	500x2000	1000
13. WINDOW	W10	500x2000	1000
14. WINDOW	W11	500x2000	1000
15. WINDOW	W12	500x2000	1000
16. WINDOW	W13	500x2000	1000
17. WINDOW	W14	500x2000	1000
18. WINDOW	W15	500x2000	1000
19. WINDOW	W16	500x2000	1000
20. WINDOW	W17	500x2000	1000
21. WINDOW	W18	500x2000	1000
22. WINDOW	W19	500x2000	1000
23. WINDOW	W20	500x2000	1000
24. WINDOW	W21	500x2000	1000
25. WINDOW	W22	500x2000	1000
26. WINDOW	W23	500x2000	1000
27. WINDOW	W24	500x2000	1000
28. WINDOW	W25	500x2000	1000
29. WINDOW	W26	500x2000	1000
30. WINDOW	W27	500x2000	1000
31. WINDOW	W28	500x2000	1000
32. WINDOW	W29	500x2000	1000
33. WINDOW	W30	500x2000	1000
34. WINDOW	W31	500x2000	1000
35. WINDOW	W32	500x2000	1000
36. WINDOW	W33	500x2000	1000
37. WINDOW	W34	500x2000	1000
38. WINDOW	W35	500x2000	1000
39. WINDOW	W36	500x2000	1000
40. WINDOW	W37	500x2000	1000
41. WINDOW	W38	500x2000	1000
42. WINDOW	W39	500x2000	1000
43. WINDOW	W40	500x2000	1000
44. WINDOW	W41	500x2000	1000
45. WINDOW	W42	500x2000	1000
46. WINDOW	W43	500x2000	1000
47. WINDOW	W44	500x2000	1000
48. WINDOW	W45	500x2000	1000
49. WINDOW	W46	500x2000	1000
50. WINDOW	W47	500x2000	1000
51. WINDOW	W48	500x2000	1000
52. WINDOW	W49	500x2000	1000
53. WINDOW	W50	500x2000	1000
54. WINDOW	W51	500x2000	1000
55. WINDOW	W52	500x2000	1000
56. WINDOW	W53	500x2000	1000
57. WINDOW	W54	500x2000	1000
58. WINDOW	W55	500x2000	1000
59. WINDOW	W56	500x2000	1000
60. WINDOW	W57	500x2000	1000
61. WINDOW	W58	500x2000	1000
62. WINDOW	W59	500x2000	1000
63. WINDOW	W60	500x2000	1000
64. WINDOW	W61	500x2000	1000
65. WINDOW	W62	500x2000	1000
66. WINDOW	W63	500x2000	1000
67. WINDOW	W64	500x2000	1000
68. WINDOW	W65	500x2000	1000
69. WINDOW	W66	500x2000	1000
70. WINDOW	W67	500x2000	1000
71. WINDOW	W68	500x2000	1000
72. WINDOW	W69	500x2000	1000
73. WINDOW	W70	500x2000	1000
74. WINDOW	W71	500x2000	1000
75. WINDOW	W72	500x2000	1000
76. WINDOW	W73	500x2000	1000
77. WINDOW	W74	500x2000	1000
78. WINDOW	W75	500x2000	1000
79. WINDOW	W76	500x2000	1000
80. WINDOW	W77	500x2000	1000
81. WINDOW	W78	500x2000	1000
82. WINDOW	W79	500x2000	1000
83. WINDOW	W80	500x2000	1000
84. WINDOW	W81	500x2000	1000
85. WINDOW	W82	500x2000	1000
86. WINDOW	W83	500x2000	1000
87. WINDOW	W84	500x2000	1000
88. WINDOW	W85	500x2000	1000
89. WINDOW	W86	500x2000	1000
90. WINDOW	W87	500x2000	1000
91. WINDOW	W88	500x2000	1000
92. WINDOW	W89	500x2000	1000
93. WINDOW	W90	500x2000	1000
94. WINDOW	W91	500x2000	1000
95. WINDOW	W92	500x2000	1000
96. WINDOW	W93	500x2000	1000
97. WINDOW	W94	500x2000	1000
98. WINDOW	W95	500x2000	1000
99. WINDOW	W96	500x2000	1000
100. WINDOW	W97	500x2000	1000
101. WINDOW	W98	500x2000	1000
102. WINDOW	W99	500x2000	1000
103. WINDOW	W100	500x2000	1000

NO.	DESCRIPTION	AREA (S.F.)	AREA (SQ. MT.)
1. <td>BASMENT</td> <td>209.42</td> <td>25.13</td>	BASMENT	209.42	25.13
2. <td>FIRST FLOOR</td> <td>209.42</td> <td>25.13</td>	FIRST FLOOR	209.42	25.13
3. <td>SECOND FLOOR</td> <td>209.42</td> <td>25.13</td>	SECOND FLOOR	209.42	25.13
4. <td>THIRD FLOOR</td> <td>209.42</td> <td>25.13</td>	THIRD FLOOR	209.42	25.13
5. <td>MURTY</td> <td>25.75</td> <td>3.10</td>	MURTY	25.75	3.10
TOTAL AREA OF PLOT - 415.64 SQ. MT. (IN 50.00 MT.)			

SANCTIONED AND COMPOUNDING BUILDING PLAN OF PLOT NO. 43
 DEVELOPED BY ALLAHABAD IMPROVEMENT TRUST ALLAHABAD
 OWNER SMT. V. PRAKASH WATI GUPTA
 SMT. NEELAM GUPTA
 SRI - VISHAL GUPTA
 SCALE - 1/100
 DRAWN BY: [Signature]
 CHECKED BY: [Signature]

SANCTIONED AND COMPOUNDING BUILDING PLAN OF PLOT NO. - 43
 CROSSWAITH ROAD DISTT. ALLAHABAD DEVELOPED
 BY ALLAHABAD IMPROVEMENT TRUST ALLAHABAD
 OWNER - SMT. PRAKASH WATI GUPTA. SRI. VINAY GUPTA
 SMT. NEELAM GUPTA. SRI. VISHAL GUPTA. SCALE - 1:100

BASEMENT FLOOR PLAN (PARKING)



(91) 15.850

Handwritten notes in red ink: 'सर्व अधिकार सुरक्षित हैं।', 'यदि कोई भी व्यक्ति इस योजना को बिना अनुमति के प्रकाशित करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा।', 'प्रकल्पक: श्री. वि. गुप्ता', 'आर्किटेक्ट: श्री. वि. गुप्ता', 'ड्राफ्ट्समैन: श्री. वि. गुप्ता', 'स्केल: 1:100', 'दिनांक: 10/12/2023'.

SHEET NO. 1 2

Prof. Dr. V. K. Singh
 - N. D. Singh
 - V. K. Singh

AWA ARCHITECTS (Ph. 501748)
 Architects, Planners, Structural Design
 A. D. A. Road, N. M. Road, Allahabad
 300/192 A, D. Road, Allahabad